सामान्य अनुदेश:

a) डाक द्वारा आवेदन पत्र या संप्रेशण प्राप्त न होने या गुम हो जाने की दशा में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा

b) चूंकि आवेदन पत्रों की जॉच कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा की जायेगी, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदनपत्र पूर्णतः निर्धारित प्रारुप में तथा पूर्णतः और सही ढ़ग से भरा हुआ होना चाहिए तथा इसमें किसी भी किसी भी प्रकार का सुधार/परिवर्तन/अधिलेखन नहीं होना चाहिए।

c) आवेदन पत्र आवेदक की स्वयं की हस्तलिपि में एवं बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में भरा होना चाहिए तथा अंको हेतु अंग्रेजी के अंको का उपयोग किया जाना चाहिए।

d) किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में सम्बंधित पद हेतु दिए गए पात्रता एवं अन्य मानदण्डों को पूर्ण करता है, यदि उम्मीदवार आवेदित पद हेतु अयोग्य पाया जाता है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र अस्वीकार करने हेतु बैंक स्वतंत्र होगा। पात्रता एवं अन्य मानदण्डों के सम्बन्ध में बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।

e) आवेदन शुल्क/उम्र के सम्बन्ध मे छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को आवेदनपत्र के साथ अपने दावे सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी चाहिए तथा मूल प्रमाण पत्र या दस्तावेज आवेदनपत्र के साथ संलग्न न करें।

f) एक बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने पर इसे वापस लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक बार भुगतान कर दिए जाने पर आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा तथा न ही इस फीस को भविष्य में होने वाले किसी भी चयन या परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

g) आवेदन पत्र किसी भी संदर्भ में अपूर्ण होने या जहॉ आवश्यक है, वहां सम्बंधित प्रमाण पत्र संलग्न न होने या अपेक्षित शुल्क संलग्न न होने निर्धारित प्रारुप में न होने अथवा उम्मीदवार के हस्ताक्षर नही होने पर, उस पर विचार नही किया जाएगा।

h) आवेदन पत्र में उम्मीदवार का वर्तमान समय का पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ अच्छी तरह से चिपका होना चाहिए तथा उस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसी फोटोग्राफ की तीन प्रतिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के सनय प्रयोग के लिए अपने पास सुरक्षित रखी जानी चाहिए। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक वे अपनी मुखाकृति (appearance) में कोई भी परिवर्तन न लाएं। उम्मीदवार को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में पूर्व में प्रस्तुत किये गये छायाचित्र की प्रति ही लानी होगी अन्यथा उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

i) शासकीय या बैंको सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा।

j) ऐसे उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल डिमॉण्ड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश/बैंकर्स चेक/पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति उपरोक्त पते पर भेजी जा सकती है।

k) केवल ऐसे उम्मीदवारों को ही आवेदन करना चाहिए जो बैंक के सेवा क्षेत्र में कहीं भी कार्य करने के लिए तत्पर हों। बैंक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सात जनपदों में कार्यरत है जो निम्नवत है–लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी एवं फैजाबाद।

L) उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता संबन्धी सभी मामलों की छानबीन, परीक्षा के आयोजन, साक्षात्कार, चयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख तथा भर्ती संबंधी कोई अन्य मामले सहित सभी मामलों में बैंक का निर्णय, अतिम होगा तथा उम्मीदवार पर बन्धनकारी होगा इस संबंध में बैंक किसी पत्राचार या वैयक्तिक पूछताछ को स्वीकार नही करेगा।

m) बैंक अपने विवेकानुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी केन्द्र/स्थान या उम्मीदवार के संबंध में पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है।

n) किसी अनाधिकृत व्यक्ति/संस्थान द्वारा जारी किसी विज्ञापन में उपलब्ध करायी गयी गलत सूचना के आधार पर कोई आवेदन पत्र नामंजूर होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

o) जो उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग शुल्क और अपेक्षित प्रमाण पत्रों की अलग से प्रमाणित प्रतियां संलग्न करते हुए अलग– अलग आवेदन पत्र, अलग– अलग लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए।

p) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की केवल प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां ही उम्मीदवार भेजें।

q) पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

r) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संलग्नक :

1. निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां:

(i) माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (सेकेण्डरी स्कूल), विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाणित करें।

(ii) वर्षवार अंक सूची, जिसमें विशेष रूप से अध्ययन किये गये विषयों का उल्लेख किया गया हो और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि एसएसएलसी/एचएससी/स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री, व्यावसायिक/अनुसंधान योग्यता आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र।

(iii) अज/अजजा/अपिव/विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

(iv) अज/अजजा/अपिव/विकलांग श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र, उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(v) अपिव के मामले मे यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार की सेवा और सिविल सर्विसेज में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ से अलग किए गए सम्पन्न वर्गों से संबंधित नही है। अपिव प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(vi) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवा निवृत्ति/पेंशन आदेश तथा अंतिम/वर्तमान धारित रैंक (स्थायी और कार्यवाहक दोनो) के दस्तावेजों की सबूत प्रति संलग्न करनी होगी, जो अभी रक्षा सेवाओं में कार्यरत हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने पर बैंक में सेवा करने के लिए यथाविधि रक्षा सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा ।

(vii) विकलांगो हेतु शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (जिसमें शारीरिक अपंगता की प्रकृति एवं प्रतिशत) अंकित हो, जनपदीय स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो।

(2) बैंक डिमॉण्ड ड्राफ्ट/बैंक भुगतान आदेश लखनऊ में देय होना चाहिए

(3) मूल निवास का प्रमाण पत्र (क्लर्क कम कैशियर (कार्यालय सहायक) के पद कोड (02) हेतु अनुमन्य)

s) इस विज्ञापन के कारण उपजे किसी विवाद का निराकरण लखनऊ स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

t) उम्मीदवार द्वारा अलग से भेजे गए किसी प्रमाण पत्र/शुल्क के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

u) परीक्षा के दौरान मोबाइल्स, कैल्कुलेटर, टेलीफोन, सेलफोन, पेजर या ऐसे ही किसी प्रकार का कोई भी अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण प्रयोग करने की अनुमति उम्मीदवार को नहीं होगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आबंटित केन्द्रों पर अपने स्वयं के खर्चे और जोखिम पर उपस्थित होना पड़ेगा तथा बैंक किसी भी प्रकार की चोट/नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(i) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे डाक मे किसी भी संभावित देरी से बचने के लिए अंतिम तिथि के काफी पहले अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर दें, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाऐंगे।

(ii) उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुरूप उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने पर होगी। ऐसी नियुक्तियां बैंक की सेवा और आचरण नियमावली के विषयाधीन होंगी।

अजा/अजजा/अपिव/विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्न हैं

(i) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग वर्ग हेतु जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/जिलाधीश/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वृतिक दण्डाधिकारी/उप संभाग दण्डाधिकारी/ताल्लुका दण्डाधिकारी/कार्यकारी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/उपक्षेत्र का राजस्व अधिकारी जोकि तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो, जहॉ के उम्मीदवार और/उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता हो।

(ii) विकलांगो हेतु शारीरिक विकलांगता का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। ऐसे उम्मीदवार जो लोकोमोटर अक्षमता/सेरेब्रल पल्सी/दृष्टिक्षीणता/श्रवणक्षीणता श्रेणी के होंगे उनकी इस अक्षमता का मूल्यांकन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड जो कम से कम तीन सदस्यों का होगा तथा जिसमें एक सदस्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, के द्वारा किया जायेगा।

कदाचार का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार के विरूद्व कार्यवाहीः

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी को न तो छुपाएं और न ही कोई ऐसे विवरण दें जो कि मिथ्या हों, जिनमें हेराफेरी हो, जाली हो । लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय यदि किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित मामलों में दोषी पाया जाता हैः–

(1)परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या

(2)प्रतिरूपण करता है या किसी व्यक्ति द्वारा कराता है या

(3)परीक्षा केन्द्र में दुर्व्यवहार करता है या परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र / उत्तर पुस्तिका (अथवा उसका) कोई भाग लेकर बाहर चला जाता है या

(4)चयन में अपनी उम्मीदवारी को लेकर किसी भी प्रकार के अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करता है

(5)ऐसे उम्मीदवार आपराधिक कार्यवाही होने के साथ ही निम्न कार्यवाही के भी पात्र होंगेः–

(i) उस परीक्षा/साक्षात्कार से उसे अपात्र कर दिया जायेगा, जिसमें वह उम्मीदवार है

(ii) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या भर्ती प्रक्रिया से उस पर स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए रोक लगा दी जाए

(iii) यदि वह नियुक्त हो चुका है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बैंक उम्मीदवार के प्रति उत्तरों का अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों से समानता का पैटर्न पता लगाने के लिए विश्लेषण करेगा और निर्धारित प्रकिया के तहत यदि यह सन्देह पैदा होता है कि आपस में नकल हुई है और प्राप्त अंक सही/वैध नही है, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दे।

नोटः किसी भी विवाद की दशा में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा